सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

पौष 23, गुरूवार, शाके 1943-जनवरी 13, 2022

Pausa 23, Thursday , Saka 1943- January 13, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 06, 2022

जी.एस.आर.399 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है : -

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. अनुसूची-। का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के साथ संलग्न अनुसूची-। में शीर्षक ए-।। (स्वास्थ्य पक्ष) (संयुक्त पुरूष एवं महिला संवर्ग), मोजूदा क्रमांक संख्या 1(ए) और प्रविष्टियां उसके स्थान पर निम्नलिखित रखी जायेगीं :-

"

1(ए)	हास्पिटल केयर टेकर	100 % 25 % पद विभाग के कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगें, जिनके पास कॉलम नं. 4 में वर्णित योग्यता है।	-	1. भारत के कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक ; और 2. एमबीए/पीजीडी (2 वर्षीय नियमित पाठयक्रम) अस्पताल प्रबंधन/ अस्पताल प्रशासन/अस्पताल एवं स्वास्थ्य प्रबंधन मान्यता प्राप्त संस्थान से अथवा इसके समकक्ष राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान ।	-	-	-

"

[**सं.एफ 2(1) डीओपी/ए-II/82 पार्ट ।।**]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-GR.II
NOTIFICATION
Jaipur, January 06, 2022

G.S.R.399 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2**. Amendment of Schedule-I.-** In Schedule-I appended to the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service Rules, 1965, under the heading Group A-II (Health Side) (Combined Male and Female Cadres), the existing serial number 1(a) and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1(a)	Hospital Care Taker	100% out of which 25% of the post shall be reserved for departmental employees who possess the requisite qualifications as mentioned in column number 4.	-	1. Graduate from a University established by law in India; and 2. MBA/PGD (two year regular course) in Hospital Management /Hospital Administration/ Hospital and Health Care Management from a recognised institute or its equivalent recognised by the State Government.	-	-	-

”

[No.F.2(1)DOP/A-II/82 pt. II]
By order and in the name of the Governor,

JAI SINGH,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.